बायो–डाटा (Bio-Data)

दी भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, में दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में चयन हेतु।

फोटो

1. नाम–

2. पिता का नाम– 3 माता का नाम–

वर्त्तमान पता

4. ग्राम / मोहल्ला– 5. पोस्ट–

6. थाना– 7. जिला–

8. राज्य– 9. पिन सं0–

10. मोबाई नं0–

स्थायी पता

11. ग्राम / मोहल्ला– 12. पोस्ट–

13. थाना– 14. जिला–

15. राज्य– 16. पीन–

17. जन्म तिथि– 18. लिंग–

19. योग्यता–

20. **फोटो पहचान पत्र का विवरण**

    (i) प्रकार–

    (ii) संख्या–

21. **पूर्व के कार्यानुभव का विवरण**

    (i) संस्थान का नाम–

    (ii) कार्यावधि–

22. **गारंटी देने वाले का नाम एवं पूर्ण पता –**

(1) .... (2)..

....

....

....

मोबाईल नं0– मोबाईल नं0–

घोषणा पत्र

1. मैं .... दी भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, में दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक हूँ। बैंक के विज्ञापन में दी गई सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।
2. उपरोक्त सभी विवरण बिल्कुल सत्य है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटी पायी जाती है तो बैंक प्रबंधन द्वारा मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर–

पूर्ण नाम–

पता

ग्राम / मुहल्ला–

दिनांक–

पोस्ट–

थाना–

जिल–

पिन– (बिहार)

गारंटी पत्र

मैं..पिता...

ग्राम / मुहल्ला..पोस्ट...

थाना...जिला...पिन...............................

का स्थायी निवासी हूँ। मेरा दी भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, के शाखा......................

में बचत / चालू खाता नं0...है।

मैं...श्री / श्रीमति..पिता..................................

ग्राम / मुहल्ला..पोस्ट......................................थाना.............................

जिला.....................................को पिछले ....वर्ष..............................माह..............................

से जानता वो पहचानता हूँ एवं इनका चरित्र अच्छा है। दी भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, में दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में चयन हेतु गारंटी देता हूँ।

गारंटर का हस्ताक्षर

दिनांक.........................

गारंटी पत्र

<u>दैनिक जमा अभिकर्त्ता</u>

शर्त्ते :—

(i) आवेदक भागलपुर एवं बाँका जिला का स्थाई निवासी हो।

(ii) आवेदक का आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

(iii) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए।

(iv) आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक का Willful Defaulter नहीं है इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

(v) आवेदक के नाम से Android Mobile Phone & Valid Connection होना अनिवार्य है।

(vi) आवेदक को कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए।

(vii) आवेदक का चयन दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में करने के पश्चात् आवेदक को यह शपथ पत्र देना होगा कि आवेदक दी भागलपुर सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि0, भागलपुर के अलावा किसी अन्य वित्तीय संस्थान का दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

(viii) आवेदक का चयन दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में करने के पश्चात् आवेदक को सिक्युरिटी के रूप में न्यूनतम मो0 25000/—रू0 का अपने नाम से फिक्स डिपॉजिट कराकर बैंक में जमा करना होगा।

(ix) आवेदक के द्वारा अपने संबंधित थाना से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर देना होगा।

(x) भारतीय गैर न्यायिक (Non Judicial) स्टाम्प मो0 1000/—(एक हजार) रूपये पर एकरारनामा करना होगा।

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष दी भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, भागलपुर, जागेश्वर मंडल भवन, रेडक्रास रोड, आदमपुर, भागलपुर–812001 (आगे "बैंक" के रूप में उल्लेख किया जायेगा)

एवं

द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमति .... पुत्र/पुत्री/पति श्री........................ ....ग्राम..., पोस्ट..............................थाना........................ जिला.................. पीन कोड–..................................(आगे एजेन्ट के रूप में उल्लेख किया जायेगा)

दोनों पक्ष निम्नांकित शर्त्तो पर पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए इकरारनामा करते हैं :–

(A) जमाकर्त्ताओं से संबंधित शर्त्ते–

(1) भागलपुर एवं बाँका जिला में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से खाता खोलकर दैनिक जमा योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा किसी नाबालिक के नाम से उसके अभिभावक **(Guardian)** द्वारा खाता खोला जा सकता है।

दी भागलपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, भागलपुर।

दैनिक जमा योजना (Daily Deposit Scheme)

(A) जमाकर्त्ताओं से संबंधित शर्त्ते–

(1) भागलपुर एवं बाँका जिला में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से खाता खोलकर दैनिक जमा योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा किसी नाबालिक के नाम से उसके अभिभावक **(Guardian)** द्वारा खाता खोला जा सकता है।

(2) खाता खोलने वाले को **KYC** से संबंधित कागजात देना अनिवार्य होगा। दैनिक जमा योजना के खाता धारक को बैंक में एक बचत खाता भी खोलवाना अनिवार्य होगा। बैंक के दैनिक जमा अभिकर्त्ता खाताधारक के पहचानकर्त्ता होगें और खाताधारक द्वारा दिए गए सूचनाओं एवं कागजात की सत्यता के लिए जिम्मेंवार होगें।

(3) 100 रू0 या उससे अधिक के दैनिक जमा के लिए **SMS Alert** की सुविधा अनिवार्य होगी।

(4) दैनिक जमा योजना के तहत कोई व्यक्ति न्यूनतम 20/–(बीस) रूपये प्रतिदिन या उससे अधिक 10 (दस) के गुणक में कोई राशि जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं होगी।

(5) दैनिक जमा अभिकर्त्ता खाता खोलने का प्रपत्र पुरी तरह से भरकर सभी कागजात पर खाताधारक एवं अपना हस्ताक्षर करके संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध करायेंगे। शाखा प्रबंधक की जिम्मेंवारी होगी कि वे प्रपत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर खाता खोलना सुनिश्चित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर खाताधारक से मिलकर उसका सत्यापन कर लेंगें। खाताधारक को बैंक शाखा में आकर अपने हस्ताक्षर का नमूना देना होगा और **Deposit Sheet** प्राप्त करना होगा, एजेन्ट को **Deposit Sheet** नहीं दिया जायेगा।

(6) दैनिक जमा योजना के तहत प्राप्त राशि का एक **SMS** अभिकर्त्ता द्वारा अपने मोबाईल से सेवा प्रदाता कंपनी को किया जायेगा। साथ ही **Deposit Sheet** पर राशि अंकित कर एवं हस्ताक्षर करके **Deposit Sheet** खाताधारक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अभिकर्त्ता द्वारा **SMS** भेजने के कुछ ही मिनट में खाताधारक के मोबाईल पर बैंक के **CBS** का **SMS** प्राप्त हो जायेगा।

(7) किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से राशि प्राप्त नहीं की जायेगी। **Deposit Sheet** पर बैंक के मुख्यालय एवं शाखा प्रभारी का मोबाईल नम्बर अंकित रहेगा। खाताधारक किसी भी समय अपने जमा राशि के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

(8) दैनिक जमा योजाना के तहत जमा अवधि 24/36/48 माह होगा।

(9) जमा राशि पर **4%** वार्षिक दर से ब्याज दिया जायेगा। समय पूर्व निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी। खाता खुलवाने के एक वर्ष के पूर्व निकासी की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। एक वर्ष के पश्चात् एवं **Maturity** से पूर्व निकासी की स्थिति में सिर्फ **2%** ब्याज देय होगा। 2 वर्ष के पश्चात निकासी पर **4%** ब्याज देय होगा।

(10) इस योजना के तहत कुल जमा राशि का **90%** राशि, जमा राशि के जमानत पर ऋण दिया जा सकता है। इसका ब्याज दर **PLR** के सामान होगा। ऋण के लिए विहित प्रपत्र पूर्णतः भरकर संबंधित शाखा प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर ऋण की राशि जमाकर्त्ता के बचत खाता में भेजना शाखा प्रभारी की जिम्मेंवारी होगी।

(11) **Payment of Deposit on Maturity/ before Maturity :-** दैनिक जमा योजना के तहत जमा राशि का भुगतान जमाकर्त्ता से जमा फलक **(Deposit Sheet)** प्राप्त कर उसे खाता खोलने के फार्म के साथ संलग्न करने के पश्चात किया जायेगा। परिपक्वता राशि का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा बल्कि उसका भुगतान जमाकर्त्ता के बचत खाता के माध्यम से किया जायेगा।

(B) जमा अभिकर्त्ताओं से संबंधित शर्त्ते

(1) बैंक में दैनिक जमा योजना के संचालन हेतु बैंक के नियुक्ति समिति द्वारा जमा अभिकर्त्ताओं का चयन किया जायेगा। प्रथमवार समाचार पत्र में विज्ञापन निकाल कर दैनिक जमा अभिकर्त्ताओं के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। इसके बाद जमा अभिकर्त्ताओं की आवश्यकता होने पर बैंक शाखा में सूचना प्रकाशित कर एवं वेवसाईट पर सूचना देकर जमा अभिकर्त्ताओं के लिए आवेदन आमंत्रित किये जायेगें।

(2) दैनिक जमा योजना के लिए अभिकर्त्ता शाखा या मुख्यालय को अपना आवेदन उपलब्ध करायेगें। प्राप्त आवेदन के आधार पर बैंक के नियुक्ति समिति द्वारा अभिकर्त्ताओं का चयन किया जायेगा।

(3) बैंक के किसी शाखा में अधिकतम 10 दैनिक जमा अभिकर्त्ताओं को रखा जा सकता है। इससे अधिक जमा अभिकर्त्ता को रखने के लिए निदेशक परिषद की अनुमति अनिवार्य होगी।

(4)) दैनिक जमा अभिकर्त्ता बैंक के स्थायी कर्मचारी नहीं होगें बल्कि कमीशन पर कार्य करने वाले एजेन्ट होंगे। दैनिक जमाकर्त्ता एवं बैंक का संबंध **Agent** और **Principal** का होगा। दैनिक जमा अभिकर्त्ता द्वारा बैंक की नियमित कार्मिक के तरह पेंशन, भविष्य निधि, बीमा, चिकित्सा सुविधा इत्यादि की मांग नहीं की जाएगी।

(5) दैनिक जमा अभिकर्त्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशि पर **2%** कमीशन दिया जायेगा। परिस्थिति के अनुसार कमीशन के दर में परिवर्तन करने का बैंक को पूर्ण अधिकार होगा। दैनिक जमा अभिकर्त्ता को दिए जाने वाले कमीशन की राशि से **TDS** की कटौती की जायेगी। कमीशन के अलावे अभिकर्त्ताओं को अन्य कोई सेवा संबंधी लाभ देय नहीं होगा।

(6) दैनिक जमा अभिकर्त्ता के रूप में चयन के लिए बैंक के किसी स्थायी कार्मिक/निदेशक परिषद के किसी सदस्य / किसी पैक्स के अध्यक्ष/ बैंक के सुचारू रूप से खाता संचालित करने वाले किसी दो खाताधारक की गारंटी देना होगा।

(7) दैनिक जमा अभिकर्त्ता को न्यूनतम 25000/–(पचीस हजार) रूपये या दो दिनों में जमा की गई जमा राशि के बराबर सुरक्षित जमा **(Security deposit)** बैंक में जमा कराना होगा जिसपर सावधि जमा के सदृश्य ब्याज दिया जायेगा। यह राशि **Overdraft** के विरूद्ध जमानत के रूप में बैंक के पास रखी जायेगी।

(8) दैनिक जमा अभिकर्त्ता को उनके सुरक्षित जमा राशि के बराबर **Overdraft** की सुविधा दी जायेगी जिसके द्वारा खाताधारक से उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि का समायोजन होगा।

(9) दैनिक जमा योजना के अभिकर्त्ता को चयन के पश्चात् अपने विरूद्ध लम्बित विभिन्न प्रकार के मुकदमों के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।

(10) दैनिक जमा योजना के अभिकर्त्ता के चयन के पश्चात् इनके आचरण के संबंध में स्थानीय स्तर पर सूचना एकत्र कराई जायेगी। अगर कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त होती है तो अभिकर्त्ता को सुनवाई का मौका देकर उन्हें चयन मुक्त किया जा सकता है।

(11) चयनित अभिकर्त्ताओं को बैंक के संबंधित शाखा में कुल 3 (तीन) खाता खोलने होगें–

(i) प्रथम खाता एक सावधि जमा खाता होगा जिसमें अभिकर्त्ताओं को सुरक्षित जमा राशि रखना होगा, जिसपर सावधि जमा के बराबर ब्याज दिया जायेग। इस खाता में जमा राशि का भुगतान अभिकर्त्ता के कार्य छोड़ने या बैंक द्वारा उन्हें हटाये जाने के छः माह के बाद ही किया जायेगा। यह जमा राशि अभिकर्त्ता के **Overdraft** की राशि के लिए जमानत के रूप में रखा जायेगा।

(ii) द्वितीय खाता भी एक बचत खाता होगा जिसके माध्यम से अभिकर्त्ता को देय सभी प्रकार के कमीशन का भुगतान किया जायेगा।

(iii) तृतीय खाता एक **Overdraft** खाता होगा। इसके माध्यम से अभिकर्त्ताओं द्वारा जमाकर्त्ताओं से प्राप्त की गई राशि को **CBS** में की गई प्रविष्ठि को समायोजित किया जायेगा। इस खाता के प्रत्येक दिन के **Over draft** की राशि को अगले कार्य दिवस को 12 बजे पूर्वाह्न तक दैनिक जमा अभिकर्त्ता द्वारा संबंधित बैंक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। इस खाता में **Overdraft** की राशि पर 6 दिनों तक कोई ब्याज देय नहीं होगा। लेकिन 6 दिनों से अधिक **Overdraft** रहने की स्थिति में राशि पर **18%** वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

(11) दैनिक जमा संबंधी सभी कार्य **Android based mobile** के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए सक्षम मोबाईल अभिकर्त्ता को खरीदना होगा। उस **Mobile** को सेवा प्रदाता द्वारा पहले **Online register** किया जायेगा। तत्पश्चात् इसी **Mobile** के द्वारा **SMS** भेजकर दैनिक जमा का कार्य निष्पादित किया जायेगा। मोबाईल बदलने की स्थिति में अभिकर्त्ता को बैंक के माध्यम से पुनः अपने मोबाईल को सेवा प्रदाता से पजीकृत कराना होगा। जमा अभिकर्त्ता के द्वारा जमाकर्त्ता को उपलब्ध कराये गए जमा फलक **(Deposit Sheet)** पर प्रतिदिन राशि एवं अपना हस्ताक्षर अंकित करना होगा।

(12) बैंक के द्वारा सभी अभिकर्त्ताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जमा अभिकर्त्ता को जमा प्राप्त करते समय अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।

खाताधारक से प्राप्त की गई राशि को सुरक्षित रूप से बैंक के शाखा में जमा करना अभिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।

(14) बैंक का जमा अभिकर्त्ता किसी दूसरे बैंक या गैर बैंकिंग संस्था या सहकारी समिति के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

(15) कोई भी अभिकर्त्ता अपना कार्य छोड़ने के लिए कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना देकर बैंक प्रबंधन की पूर्वानुमति प्राप्त कर अपने कार्य से मुक्त हो सकता है।

(16) बैंक के दैनिक जमा अभिकर्त्ता के किसी भी संदेहास्पद गतिविधि का पता चलते ही उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक प्रबधन द्वारा हटाया जा सकता है।

(17) सुरक्षित जमा की राशि का भुगतान अभिकर्त्ता के कार्य मुक्त होने या हटाये जाने के छः माह के बाद उस पर भारित सभी प्रकार की देयताओं की कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा।

(18) दैनिक जमा अभिकर्त्ताओं द्वारा बैंक की साख को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने या जमाकर्त्ता के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने की स्थिति में जमा अभिकर्त्ता से क्षतिपूर्त्ति वसूलने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार बैंक प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

(19) समय–समय पर बैंक के निदेशक परिषद, कार्यकारिणी समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों एवं प्रबंध निदेशक के निदेशों का जमा अभिकर्त्ताओं को पूर्णतः अनुपालन करना होगा।

दैनिक जमा योजना संबंधी शर्त्तो के निर्धारण एवं उनमें संशोधन के लिए बैंक का निदेशक परिषद/कार्यकारिणी सक्षम प्राधिकार होगा।

नियुक्ति पत्र में दिए गये नियम एवं शर्त्ते भी इकरारनामा का हिस्सा माना जायेगा।

अतएव उपरोक्त शर्त्तो के साथ दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के तथा अपनी पूर्ण स्वस्थ्य चित्त अवस्था में निम्नलिखित दो साक्ष्यों के समक्ष इकरारनामें पर हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षर साक्षी .... हस्ताक्षर प्रथम पक्ष (बैंक)...................................

1. नाम..

पता ....

हस्ताक्षर साक्षी .... हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष (एजेन्ट)...................................

1. नाम..

पता ....